

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर
क्रमांक :- ई-18/एम/एसीपी-तृतीय/2016/ दिनांक :

आदेश

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.11 (7) वित्त/नियम/2008 दिनांक 12.09.2008 एवं संशोधित आदेश क्रमांक एफ.14 (88) वित्त (नियम)/2008-i दिनांक 31.12.2009 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित कर्मचारियों को निम्न प्रकार सेवा अवधि पूर्ण किये जाने पर एसीपी स्वीकृत की जाती है।

क्र. स.	नाम कर्मचारी मय पदस्थापन स्थान	प्र0नि0 तिथि	पूर्ण सेवावधि	एसीपी स्वी0तिथि	स्वीकृत एसीपी	
					पै बैंड	ग्रेड-पै
1	श्री मुरारीलाल शर्मा, लिपिक ग्रेड प्रथम, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर।	07.08.1989	27 वर्ष	07.08.2016	9300-34800	4200
2	श्री राधेश्याम बैरागी, लिपिक ग्रेड प्रथम, अधीक्षक, राजेन्द्र सार्वजनिक चिकित्सालय, झालावाड़।	21.10.1989	27 वर्ष	21.10.2016	9300-34800	4200
3	श्री जगदीश शर्मा, लिपिक ग्रेड द्वितीय, अधीक्षक, मनोचिकित्सा केन्द्र, जयपुर।	23.09.1998	18 वर्ष	23.09.2016	9300-34800	3600
4	श्री श्याम दत्त सनाढ्य, लिपिक ग्रेड द्वितीय, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बून्दी।	26.09.1998	18 वर्ष	26.09.2016	9300-34800	3600
5	श्री वासुदेव जोशी, लिपिक ग्रेड द्वितीय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़।	26.09.1998	18 वर्ष	26.09.2016	9300-34800	3600
6	श्री राजेश कुमार बुनकर, लिपिक ग्रेड द्वितीय, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सांगानेर।	05.10.2005	09 वर्ष	05.10.2014	5200-20200	2800
7	श्री घनश्याम प्रजापति, लिपिक ग्रेड द्वितीय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जैतारण, पाली।	03.08.2007	09 वर्ष	03.08.2016	5200-20200	2800

उपरोक्त कर्मचारियों का वेतन निर्धारण एसीपी स्वीकृति के फलस्वरूप संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार किया जावेगा।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/एसीपी-तृतीय/2016/ 2593

दिनांक : 22/12/16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन जयपुर/कोटा/जोधपुर/उदयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर-द्वितीय/सीकर/प्रतापगढ़/पाली।
3. अधीक्षक, मनोचिकित्सा केन्द्र, जयपुर।
4. अधीक्षक, राजेन्द्र सार्वजनिक चिकित्सालय, झालावाड़।
5. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बून्दी।
6. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सांगानेर।
7. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जैतारण, पाली।
8. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
9. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
10. आदेश/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें